जोधपुर
विद्युत वितरण
निगम लि०

क्रमांक:जोधपुर डिस्कॉम/अ०अ०/पी०पी०एण्ड एम०/पत्रा० /प्रे. 39 दिनांक

आदेश

विषय:-कृषि कनेक्शनों को उसी गांव या साथ वाले गांव में स्थानान्तरित करने के क्रम में ।

- - -

जोधपुर डिस्कॉम के आदेश संख्या जोविविनिलि/अअ/सर्व एवं जांच/प-1201/प्रे-203 दिनांक 13.11.2000 के अनुसार सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन को स्थानान्तरित करने के लिये 11/0.4 के०वी० सब स्टेशन स्थापित करने की पूरी कीमत लिये जाने के आदेश हैं ।

इस सम्बन्ध में अकाल की स्थिति एवं उपभोक्ताओं की कठिनाईयों को देखते हुए निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :-

यदि कनेक्शन हुये जाने पर परिस्थितियों के दबाव के कारण कनेक्शन वहीं रखना उपभोक्ता के वंश में नहीं हो तो कनेक्शन उसी गांव या साथ वाले गांव में स्थानान्तरित किया जा सकता है, यदि दोनों जगह जमीन पांच वर्षो से अधिक समय से उसी उपभोक्ता की हो । अधिशाषी अभियन्ता इसको स्वीकृति दे सकते हैं । कनेक्शन के स्थान परिवर्तन से पहले उपभोक्ता को पूरी बकाया राशि जमा करानी होगी । नये स्थान पर तकमीना नये कनेक्शन की तरह एल०टी० रहित प्रणाली से बनाया जायेगा । विद्युतीकृत ग्राम, जिनमें कृषि कनेक्शन ''गांव में एक भी कृषि कनेक्शन नहीं'' - योजना में दिये गये, को पांच वर्ष तक स्थानान्तरित नहीं किये जावेंगे । कनेक्शन का नये स्थान पर लोड घटाया नहीं जावेगा । कृषि कनेक्शन को स्थानान्तरित करने के खर्चे उपभोक्ता से निम्न प्रकार लिये जावेंगे ।

1- पुरानी 11 के०वी०/एल०टी० लाईन को हटाकर नयी जगह पर लगाने के लिए पोल की पूरी कीमत का एक तिहाई दर से चार्ज किये जायेगें । वर्तमान में एक पोल के 90 मीटर स्पान की कीमत रूपये 11000/- हैं । नयी जगह पर अतिरिक्त लाईन का खर्चा रूपये 125/- प्रति मीटर लिया जावेगा ।

2- सब स्टेशन/ट्रांसफार्मेशन चार्जेज रूपये 1450/- प्रति हार्स पावर समस्त उपभोक्ताओं से लिया जावेगा ।

3- यदि 11 के०वी० लाईन के वी०आर० 8 प्रतिशत से अधिक है तो कृषि कनेक्शन स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा परन्तु यदि कनेक्शन उसी लाईन पर स्थानान्तरित होता है तो उक्त लाईन का बिना वी०आर० बढ़ाये कनेक्शन स्थानान्तरित कर दिया जावे ।

नये स्थान पर कनेक्शन उसी श्रेणी में चालू किया जावेगा । पुनः कनेक्शन के दो वर्ष तक सामान्यतः कृषि कनेक्शन को स्थानान्तरित नहीं किया जावेगा । विशेष परिस्थितियों में दो वर्ष के अन्दर भी अधीक्षण अभियन्ता(पी०पी०एण्ड एम०) की स्वीकृति लेकर उसी गांव या साथ वाले गांव में स्थानान्तरित किया जा सकता हैं ।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें ।

(ई० बी०के० पुरोहित)

अधीक्षण अभियन्ता (पी०पी०एण्ड एम०)